प्र.सं. 31/2024 फखरूद्दीन बनाम मनीष काला व अन्य
प्र.सं. 32/2024 फखरूद्दीन बनाम मनीष काला व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.03.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बड़ी, तहसील बड़गांव में आराजी नंबर 1161, 1162, 1164, 1163/2195 कुल किता 4 रकबा 0.8640 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी संख्या 8 से क्रय की थी, तब से अपने–अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 8 ने उक्त विक्रय पत्र की रजिस्ट्री कराते समय मौखिक रूप से मौके पर बंटवारा कर विक्रय की थी, उसी अनुरूप विक्रय पत्र का पंजीयन करवाया गया था तत्पश्चात मौके पर कब्जा भी दिया गया था। प्रतिवादी संख्या 8 के खाते में वर्तमान में मात्र आराजी नंबर 1163/3195 में 1/100 वां हिस्सा ही बतौर खातेदार दर्ज है, शेष आराजी में प्रतिवादी संख्या 8 खातेदार नहीं है। विक्रय पत्र निष्पादन के बाद सभी खातेदारों ने उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में बंटवारा कराने हेतु एक आपसी बंटवारानमा दिनांक 15.04.2008 को पूर्व में किये गये मौखिक बंटवारे के आधार पर निष्पादन किया गया, जिस पर सभी पक्षकारों ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये तथा उसी अनुरूप नक्शा बनाया गया। उक्त नक्शा व बंटवारानामे अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे हैं। अतः मौखिक व लिखित बंटवारे अनुसार जो भूमि खातेदार को प्राप्त हुई है, इसी अनुसार विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21.02.2024 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार का विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 27.03.2024 को अंतिम डिक्री जारी की। उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 21.02.2024 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 27.03.2024 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा दिनांक 20.05.2024 को प्रस्तुत की गयी हैं। दोनों ही अपीलें अधीनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 06/2023 में पारित प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री के विरूद्ध होने से दोनों ही अपीलों में	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:06:11 IST
Reason: SelfAttested

पक्षकारान एवं विवादित आराजियात समान होने से दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 4 अधिवक्ता श्री भंवरसिंह राजपुरोहित उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 3, 6, 8 की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अजयसिंह हाडा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत निवेदन किया कि उक्त निर्णय व डिक्री अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी। दिनांक 14.05.2024 को जानकारी होने पर अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः देरी को कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार फरमायी जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त डिक्री अपीलान्ट की अनुपस्थिति में जारी की गयी है, जिसकी जानकारी पूर्व में अपीलान्ट को होने की प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट की तामील कभी नहीं हुई, न ही कभी अधिवक्ता नियुक्त किया, न ही अण्डरटेकिंग हेतु हिदायत ही दी गयी, फिर भी दिनांक 05.04.2023 को आर्डरशीट में अधिवक्ता की अण्टरटेकिंग लिख दी, जो विधि के विपरीत है। विभाजन में अपीलान्ट को 9 बिस्वा भूमि कम दी गयी। अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला है। अतः दोनों अपीलें स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 21.02.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:06:11 IST
Reason: SelfAttested

एवं अंतिम डिक्री दिनांक 27.03.2024 निरस्त फरमायी जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि बंटवारा पूर्व में हो चुका है उसी अनुसार मौके पर बैठे हैं। रास्ते की भूमि सभी की शामलाती रखी गयी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत हैं। अतः दोनों अपीलें खारिज की जावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। आदेशिका दिनांक 28.11.2023 अनुसार प्रकरण में पेशी दिनांक 03.04.2024 नियत की गयी, किन्तु इससे पूर्व ही शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर आदेशिका दिनांक 31.01.2024 अनुसार धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली शीघ्र सुनवाई हेतु दिनांक 13.02.2024 को रखी गयी, जिसकी सूचना प्रतिवादीगण को दिये जाने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। आदेशिका दिनांक 21.02.2024 अनुसार एकपक्षीय प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है तथा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में जो फर्द बंटवारा तैयार किया गया है, वह भी अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 06/2023 निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 21.02.2024 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 27.03.2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन के मद्दे नजर सभी पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.05.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 25.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:06:11 IST
Reason: SelfAttested

प्र.सं. 31/2024 फखरूद्दीन बनाम मनीष काला व अन्य
प्र.सं. 32/2024 फखरूद्दीन बनाम मनीष काला व अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:06:11 IST
Reason: SelfAttested